न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

इन्द्रजीत सिंह बनाम जग्गा सिंह आदि

प्रकरण का प्रकार 225 आरटीएक्ट अपील संख्या 55/2020

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
26.11.2020	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर संगरिया के प्रकरण संख्या 136/2019 अनवानी जगा सिह बनाम इन्द्रजीत सिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 01.04.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने 151 सीपीसी का एक प्रार्थना–पत्र इन कथनों के साथ पेश कियाकि अनवानी जगासिंह बनाम इन्द्रजीतसिंह आदि प्रकरण में बहस हो चुकी है निर्णय हेतु पेंडिंग है लेकिन कोराना वायरस की वजह से अदालत हाजा में किसी भी प्रकरण में कोई कार्यवाही नही हो रही है। प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। अप्रार्थी ने रास्ते को बंद कर दिया है। जिसस प्रार्थी की फसल नष्ट न हो इसलिए अन्तरिम राहत देते हुए मौके पर रास्ते को खुलवाया जावे। कोराना वायरस की वजह से प्रार्थी न्यायालय हाजा में उपस्थित नही हो सकता है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र gmail द्वारा भेजा था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए रास्ता खुलवाने के आदेश दिये एवं पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 10.06.2020 नियत की, इसके बाद आगामी तारीख पेशी 21.08.2020 नियत की गई। इस बीच अपीलाण्ट ने दिनांक 15.06.2020 को यह अपील प्रस्तुत कर दी। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र पर पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई है। धारा 151 सीपीसी के विरूद्ध केवल निगरानी [illegible] जा सकती है, अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। अतः यह अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। 26/XI/20 राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़	

अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner